पट्टा विलेख प्रारूप

यह पट्टा दिनांकमाहमहसन्को श्री	आत्मज
आयुवर्ष निवासी(जिसे आगे "पट्टादात	
विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा आत्मज आत्मज	
(जिसे आगे ''पट्टाग्रहिता'' कहा गया है) एवं जो इस वि	
बीच (ग्राम / शहर का नाम) में निष्पादित किया गया ।	
उक्त प्रथम पक्षकार का निम्नानुसार एक भू—खण्ड जोपर स्थित है, जिसका कि वह पूर्ण रूपेण स्वामी होकर उस पर उसका 3	
(संपत्ति का विस्तृत विवरण)	
और चूंकि उक्त भू—खण्ड को उक्त पट्टाग्रहिता पट्टे पर लेने भू—खण्ड को पट्टाग्रहिता को पट्टे पर देने को सहमत है । अतएव अहै :	
(1) कि पट्टादाता ने पट्टाग्रहिता को उक्त भू—खण्ड के प्रतिफलस्व अपनी अभीस्वीकृति दे दी है ।	रूप रू.प्राप्त कर
(2) कि उक्त पट्टे की अवधि 30 वर्ष की होगी एवं आगे ऐसी अवधि पट्टाग्रहिता के निवेदन पर पट्टादाता द्वारा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों प	
(3) कि पट्टादाता उक्त भूमि पर मकान का निर्माण कर सकेगा, उक्त उपयोग एवं उपभोग करने का उसे पूर्ण अधिकार होगा, वह उसे किराये को हस्तांतरित कर सकेगा ।	
(4) पट्टाग्रहिता उक्त पट्टे की भूमि का रूपये वार्षिक कि तारीख या उसके पूर्व कभी भी पेशगी अदा करेगा ।	राया प्रतिवर्ष अप्रैल माह की
(5) कि पट्टादाता की पूर्व अनुमित के बिना पट्टाग्रहिता को उक्त भूरि अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार होगा ।	मे पर पट्टे के अधिकार किसी
(6) कि पट्टे की भूमि पर जो मकान निर्माण होगा उस पर नगरपालिव वह सब पट्टाग्रहिता अदा करेगा ।	ना का या जो अन्य कर लगेगा
(7) कि पट्टादाता एवं पट्टाग्रहिता के शब्द के अंतर्गत उसके दायाव प्रशासनक भी सम्मिलित समझे जायेंगे ।	इ, उत्तराधिकारी, निष्पादक एवं
उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है । साक्षीगण :-	दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त
(1)	
(2) हस्ताक्ष	र(पट्टादाता)
हस्ताक्षर	(पट्टाग्रहिता)